प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 83/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकारों के नियमों और शर्तों के परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 22.10.2024 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकारों के नियमों और शर्तों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.11.2024 और प्रति-टिप्पणियाँ 19.11.2024 निर्धारित की गई थी।

2. विभिन्न हितधारकों के टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को क्रमशः 19.11.2024 और 26.11.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियाँ अधिमानतः इलेक्ट्रानिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 11/11/2024

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा